(च) देश में गोमांस की मांग कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) अवैध रूप से गायों के वध किये जाने के बिरल घटनाओं की सूचना मिली है ।

(ग) असम, केरल, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल तथा लक्षद्वीप के बूचड़ खानों में गायों का वध करने पर प्रतिबंध नहीं है ।

(घ) 1981 से 1986 तक देश में वध की गई गायों की संख्या नीचे दी गई है :—

1981	. .	55,887
1982	. .	94,572
1983	. .	70,501
1984	. .	1,65,216
1985	. .	1,85,847
1986	. .	1,24,000 (अनुमानित)

(ङ) इस स्थिति में अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(च) देश में गोमांस की मांग का सरकारी अनुमान नहीं लगाया गया है ।

Allotment of special pool quarters within a specified time

2364. SHRI SOHAN LAL DHUSIYA:
SHRI PURUSHOTTAM KAKODKAR:
SHRI RADHAKISHAN MALAVIYA:
SHRI T. R. BALU:
SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR:
SHRI PRITHIBI MAJHI:
SHRI LEONARD SOLOMAN SARING:
SHRI PRABHAKAR RAO KALVALA:
SHRI YALLA SESI BHUSHANA RAO:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of quarters allotted by the Directorate of Estates, New Delhi to each of the Special Pool during the period 1st January, 1987 and 30th April, 1987 month-wise, pool-wise and type-wise;

(b) whether Government are aware that some of the offices have not so far allotted those quarters to their employees;

(c) whether it is a fact that such quarters should be allotted within a specified time, if not, what are the reasons therefor;

(d) the loss Government suffered by paying House Rent Allowance to the employees and by non-recovery of rent of those quarters by keeping them vacant; and

(e) the manner in which Government propose to compensate such losses?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) During this period no quarter has been placed at the disposal of special pools.

(b) to (e) In view of (a) above the questions do not arise.

Fair Price shops and mobile shops (PDS)

2365. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what was the number of fair price shops and mobile shops (PDS) in the country at the end of 1986;

(b) whether it is a fact that many of these FPS and mobile shops are not provided with the desired essential commodities earmarked for them; and

(c) if so, what further steps Government propose to take to expand and streamline the PDS in the rural areas of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) As on 31-12-1986, there were about 3.33 lakh fair price shops in the country of which 70 were mobile shops.

(b) The commodity coverage and quantum of essential commodities to be distributed by the fair price shops are determined by the respective States/UTs, after taking into consideration factors such as demand in the area, previous offtake etc.

(c) guidelines have already been issued to the States/UTs to open new fair price shops to provide easy physical access to consumers and to make necessary financial/physical arrangements for improvement of infrastructural facilities such as storage and transportation of essential commodities to fair price shops in rural, backward, remote and inaccessible areas. The Central Government is also providing financial assistance to States/UTs for introducing mobile fair price shops in rural, far-flung, hilly, inaccessible, remote and desert areas.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के गन्दी बस्ती विभाग की नेबरहुड स्कीम

2366. **श्री शान्ति त्यागी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के 27 हजार लोगों की 10 करोड़ रुपये की धनराशि, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के गंदी बस्ती विभाग द्वारा नेबरहुड स्कीम के अधीन इकट्ठी की गई थी बैंकों में पड़ी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन व्यक्तियों को जिन्होंने पहले ही पैसा जमा करा दिया है फ्लैट कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग द्वारा फ्लैटों के लिये आवास पंजीकरण योजना के अन्तर्गत रु० 8,30,80,600 की राशि एकत्र की गई थी ।

(ख) सभी पात्र आवेदकों को लगभग 3–4 वर्षों के समय में रिहायशी फ्लैट आवंटित किये जाने की संभावना है ।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां

2367. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों की संख्या क्या है ;

(ख) उनमें से उन कालोनियों के नाम क्या हैं जिन्हें 1979–80 के दौरान और आज तक अधिकृत कालोनी घोषित गया है ;

(ग) क्या फरवरी, 1977 और दिसम्बर, 1978 के दौरान ऐसी कालोनियों को अधिकृत घोषित करने के मानदंडों/आधारों में कोई परिवर्तन किया गया था ;

(घ) क्या कालोनियों को अधिकृत करने संबंधी समिति ने अभी हाल ही में कुछ और अधिक कालोनियों को अधिकृत घोषित करने की सिफारिश की है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी कालोनियों के नाम क्या हैं तथा उनके संबंध में निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) 1977–78 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में 607 अनधिकृत कालोनियां थी इनमें से संलग्न सूची के अनुसार 539 कालोनियां नियमित कर दी गई है । **[देखिए** परिशिष्ट CXLII, अनुपत्र सं 121 तथा 122]